(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 117 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, कोलकाता पत्तन न्यास के हाल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया अनुसूची की वैधता को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/56/2005-केओपीटी

आ दे श

(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के अनुरोध पर इस प्राधिकरण ने केओपीटी की हाल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया अनुसूची की वैधता 31 दिसम्बर 2009 अथवा केओपीटी की हाल्दिया और कोलकाता स्थित भूमि और भवनों की किराया अनुसूची के संशोधन के लिए केओपीटी द्वारा दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तिथि तक विस्तारित करते हुए दिनांक 28 जुलाई 2009 का एक आदेश पारित किया है और केओपीटी को निदेश दिया है कि वह अपना संशोधित प्रस्ताव 30 सितम्बर 2009 तक दाखिल कर दें ।

2. केओपीटी ने हाल्दिया और कोलकाता स्थित भूमि और भवनों के लिए किराया अनुसूची के संशोधन के लिए दिनांक 23 दिसम्बर 2009 के अपने पत्र के माध्यम से अपना प्रस्ताव दाखिल कर दिया है । प्रस्ताव को संबंधित उपयोगकर्त्ताओं से परामर्श के लिए लिया गया है । परामर्शी प्रक्रिया के एक भाग के रू प में संयुक्त सुनवाई का आयोजन अभी किया जाना है । इसलिए, इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार विमर्श के लिए इस प्रकरण को परिपक्व होने में कुछ और समय लगेगा ।

3. चूंकि हाल्दिया स्थित भूमि और भवनों के लिए किराया अनुसूची की वैधता पहले ही रद्द हो चुकी है, इसलिए वैधता को 31 दिसम्बर 2009 से आगे विस्तार प्रदान करना आवश्यक हो गया है । अतएव, यह प्राधिकरण केओपीटी के हाल्दिया स्थित भूमि और भवनों की किराया-अनुसूची की वैधता, इसके समाप्त होने की तिथि से 30 सितम्बर 2010 अथवा केओपीटी से प्राप्त प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश की अधिसूचना की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तार प्रदान करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष